कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(राज0)

क्रमांक : स्था0 / 2026 / 471 दिनांक : 25/11/2026

—: आ दे श :—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या : RHC/Exam.Cell/Driver/2025/2358 दिनांक 09.06.2025, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांकः G/I/A-4(i)(a)123/2024/1154 दिनांक 17.11.2026 व राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय(वाहन चालक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) नियम, 2017 (यथा संशोधित) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में **''वाहन चालक''** के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह / दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः एफ–15(1)एफ.डी.(नियम) / 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल संख्या–05 (20800–65900) में **राशि 14600 / –रूपये मासिक नियत(फिक्स)** पारिश्रमिक पर निम्नांकित की नियुक्ति निम्न लिखित शर्तो के अधीन की जाती है :–

S. No	Merit No.	Roll No.	Date of Birth	Name of Candidates & Address	Gender	Original Category	Allotted Category	Place of Posting
1	2	19944	15.06.1993	**Sh. Mohammad Azharuddin** S/o Abdul Latifh R/o 54 Hendloom, Bundi(Raj.) PIN- 323001	Male	OBC	GEN	D.J. Court, Bundi
2	28	17510	06.09.1996	**Sh. Sajjan Singh** S/o Mahaveer Parasad R/o Vill - Hameerwas Rijani Post Kharkhari Teh - Jhunjhunu District Jhunjhunu (Raj.) PIN- 333001	Male	OBC	GEN	C.J.M., Court, Bundi
3	40	22300	05.04.1994	**Sh. Mukesh Kumar** S/o Gopal Lal R/o Ward No. 11, Mandha Surera, Sikar (Raj.) PIN- 332742	Male	ST	ST	Nyayadhikari, Gram Nyayalaya, Talera

1. उक्त नियुक्ति डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 19969 / 2026, 19264 / 2026 एवं 24414 / 2026 तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस सम्बन्ध में वर्तमान में विचाराधीन समस्त याचिकाएँ अथवा अन्य कोई भावी याचिकाएँ / विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य–व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान(पे मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
5. अभ्यर्थी को यह नियुक्ति Subject to Police Verification दी जा रही है। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

Asha Gandhay

2.

6. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत राजकीय सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
8. राज्य सरकार या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नियम/परिपत्रों के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
9. नव नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान होने का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम, 1971 के नियम 25(ए)(ii) के अन्तर्गत अपना/अपने माता–पिता/संरक्षक/अपने पति/अपनी पत्नी एवं अपने सास–श्वसुर का घोषणा पत्र कि उपरोक्त सम्बन्धियों या अन्य द्वारा विवाह के पूर्व/विवाह के समय/पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने उपरोक्त सम्बन्धियों या किसी अन्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में परिभाषित दहेज नहीं लिया /दिया गया है एवं न ही भविष्य में दहेज लिया/दिया जायेगा।
12. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट जयपुर, दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
13. इस आदेश की प्राप्ति के **<u>सात कार्य दिवस</u>** के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह माना जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

Ashok Chaudhary
(अशोक चौधरी)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)

क्रमांक : स्था0/2026/नियुक्ति वाहन चालक/13152–13159 दिनांक : 25/11/2026

प्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. प्रभारी अधिकारी(लेखा शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, बून्दी।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी।
3. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, तालेड़ा।
4. सिस्टम अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी(आदेश कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने, आदेश की प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थी की ई–मेल आईडी पर ई–मेल करने तथा अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर नियुक्ति आदेश जारी होने की सूचना देने हेतु)
5. सम्बन्धित श्री ..... को **स्पीड पोस्ट से**
6. रक्षित पत्रावली।

Ashok Chaudhary
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बून्दी (राज0)